



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-पी.आर.एन दक्षिण-II/2023/डी- 1793

दिनांक : 10.8.2023

श्री जगदीश नारायण चौपड़ा पुत्र श्री रामजीवन चौपड़ा
निवासी-चौपड़ा फार्म, गणपतपुरा हीरापथ के सामने,
न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।

विषय:-कीर्ति नगर कॉ-ऑपरेटिव हॉउसिंग सोसायटी लि. की योजना चौपड़ा एन्क्लेव के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या ए-12-नोर्थ पार्ट एण्ड ए-13 क्षेत्रफल 986.20 व.ग. (825.27 व.मी.) के आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन किये जाने के सम्बन्ध में।

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2023 को भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु किये गये आवेदन कीर्ति नगर कॉ-ऑपरेटिव हॉउसिंग सोसायटी लि. की योजना चौपड़ा एन्क्लेव के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या ए-12-नोर्थ पार्ट एण्ड ए-13 क्षेत्रफल 986.20 व.ग. (825.27 व.मी.) पर अधिकतम बेसमेन्ट + स्टील्ट + 18 मीटर ऊंचाई के आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति जोनल लेवल कमेटी के निर्णय दिनांक 03.08.2023 के द्वारा किया गया है। जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 03.08.2023 में लिये गये निर्णयानुसार आवासीय भूखण्ड पर आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की गई है:-

1. यह भवन अनुज्ञा दिनांक लीजडीड जारी दिनांक से 05 वर्ष तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
5. भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार ठोस कचरा निस्तारण हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्र संबंधी भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
7. भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
8. आप द्वारा भवन विनियम 2020 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
9. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप अधोहस्ताक्षरकर्ता को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
10. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2020 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त (जोन-साउथ-I) को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
11. भवन विनियम 2020 की धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
12. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
13. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
14. भूस्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत संस्थानिक ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।

उपायुक्त

जयपुर विकास प्राधिकरण (उप-निर्देशक, जयपुर)

संस्तर-12 गानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

फोन : 0141-2569696 (एक्सटेंशन: संबंधित कार्यालय) e-mail : (अधिकृत अधिकारी का ईमेल)

D:/Rajandia atp/map



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

15. भूस्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
16. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
17. स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए फ्लेट्सों की संख्या के साथ संबंधित कन्स्ट्रक्शन फर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्टरूप से दर्शाने होंगे।
18. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम 10.1.16 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
19. भवन परिसर में आगंतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
20. प्राईवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कन्ट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय-समय पर जाँच की जाए।
21. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
22. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
23. भवन का उपयोग प्रारम्भ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
24. भवन विनियम 2020 की धारा 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
25. भवनगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र भंग होने के प्रश्नात् यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
26. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
27. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
28. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप द्वारा परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
29. निर्माणाधीन/निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावे।
30. भवन निर्माण स्वीकृति मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। यदि किसी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
31. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत मानचित्र मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा को रद्द करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हक नहीं होगा।
32. भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा जिसमें आयुक्त/उपायुक्त सम्बन्धित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व



जयपुर
जयपुर (दक्षिण-द्वितीय)
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

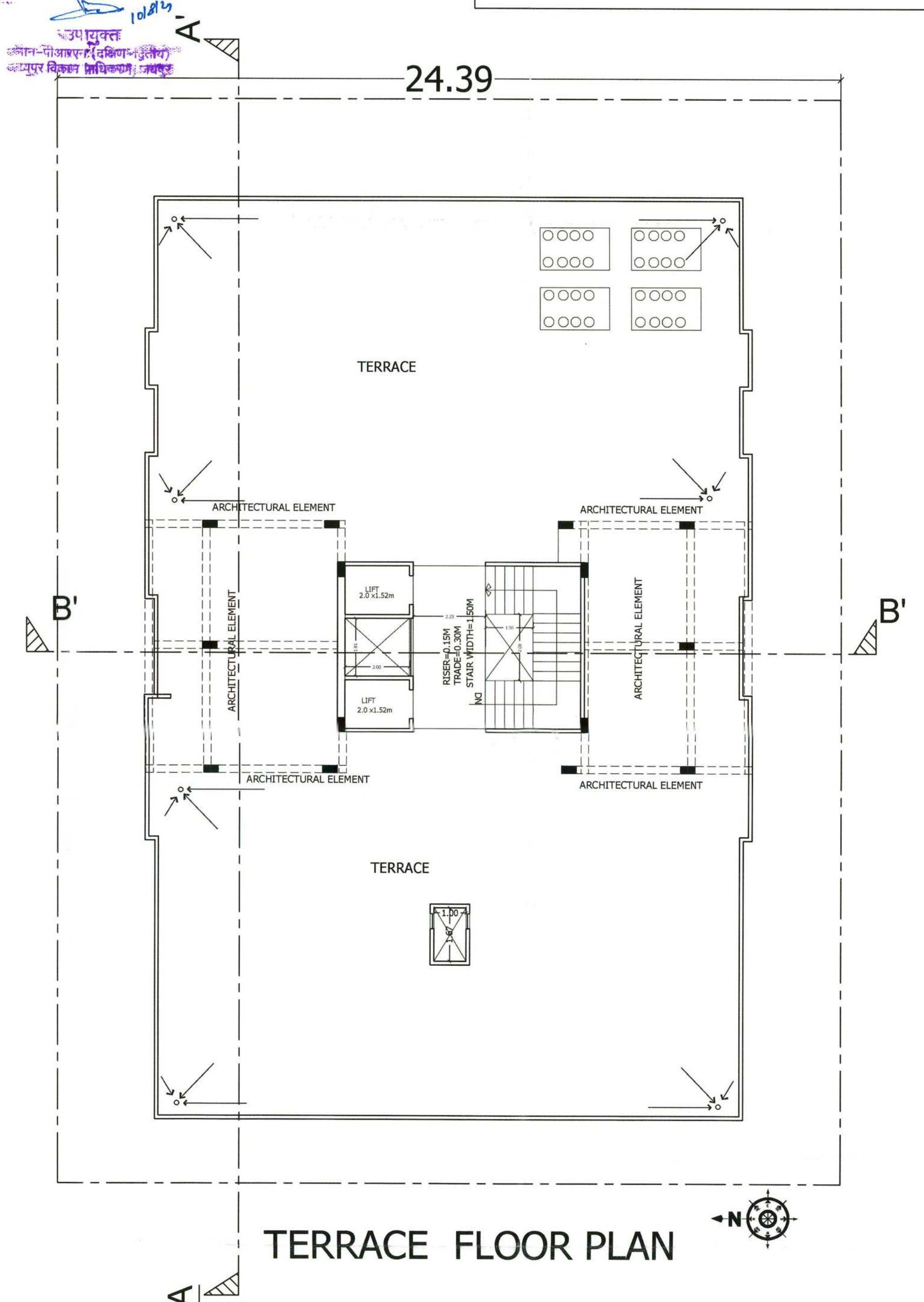
अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेंगी।

33. भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं संबंधित उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करनी होगी।
34. भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार भवन विनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
35. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी अथवा संबंधित अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
36. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
37. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटे के अन्दर यथोचित प्रमाण पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
38. भवन विनियम, 2020 की अनुपालना में भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
39. भवन विनियम, 2020 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
40. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
41. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर संपूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की और) लगाया जावे जिसमें सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
42. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री के आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारो ओर पर्दे लगवाये जायें।
43. भवन विनियम, 2020 के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई भवन निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा एवं विवादित भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिये संबंधित निकाय जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है अथवा अनुज्ञेय है यही दर्शाता है।
44. उपरोक्त वर्णित शर्तों एवं एकीकृत भवन विनियम, 2020 अनुसार अन्य सभी सम्बंधित शर्त का पालन किया जाना होगा, उक्त की पालना नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

संलग्न:-अनुमोदित भवन मानचित्र की प्रति।



उपायुक्त, जयपुर (दक्षिण-पश्चिम)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



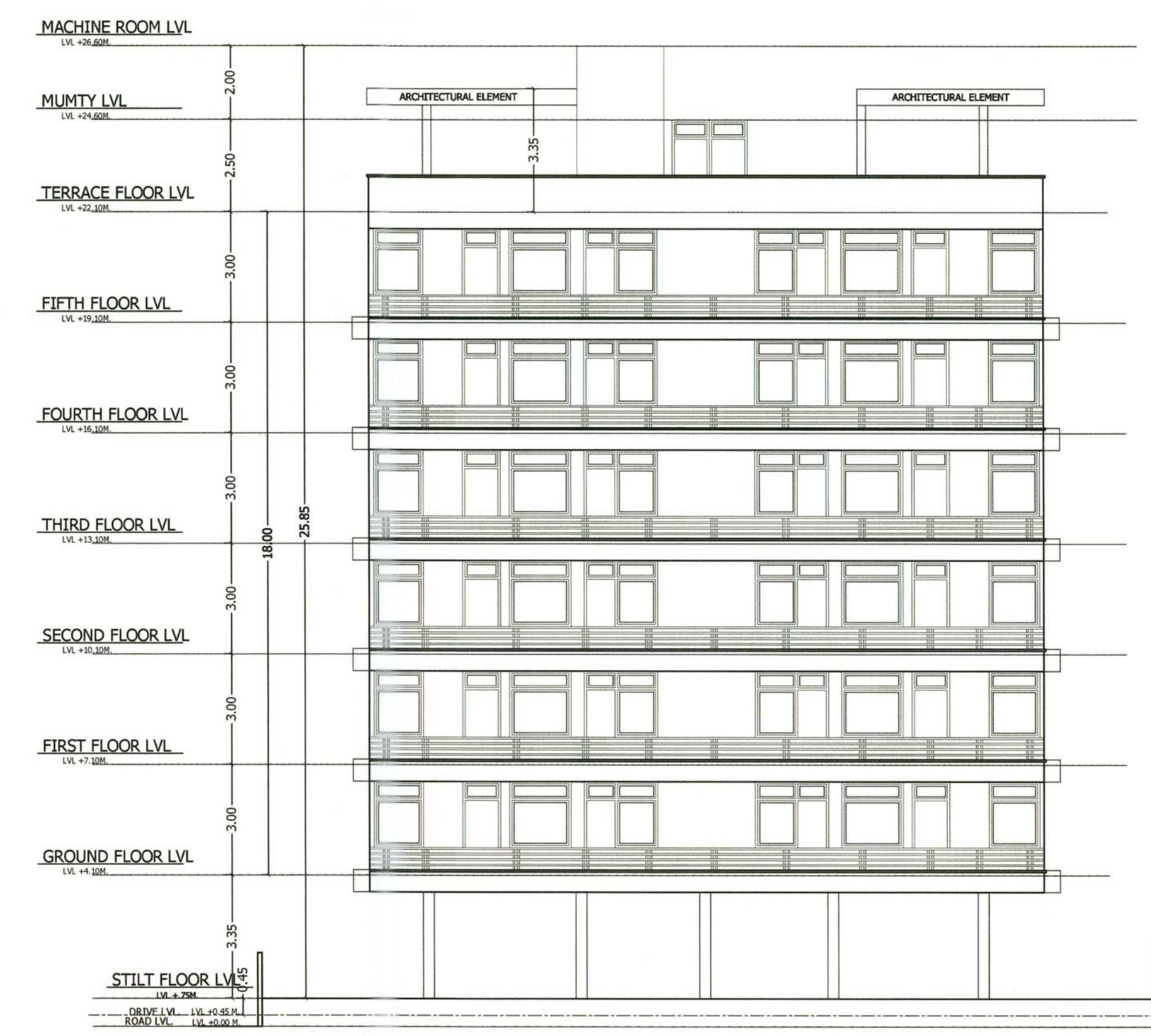
TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS FLOOR PLANS,		PROJECT:- PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT FOR JAGDISH NARYAN CHOPRA A-12(N.P) & A-13 CHOPRA ENCLAVE,MANSAROVAR, VILL-GANPATPURA TEH-SANGANER ,JAIPUR.	CLIENT NAME:- JAGDISH NARYAN CHOPRA 	ARCHITECT: SURYAPRAKASH  ARCHITECT SURYA PRAKASH 437839	NORTH : 
SCALE:- 1= 100	DATE:				

जोन स्तरीय सभिति की बैठक दिनांक
30/05/2024 को रखा जाकर भवन मानचित्र
अनुमोदित किया गया।

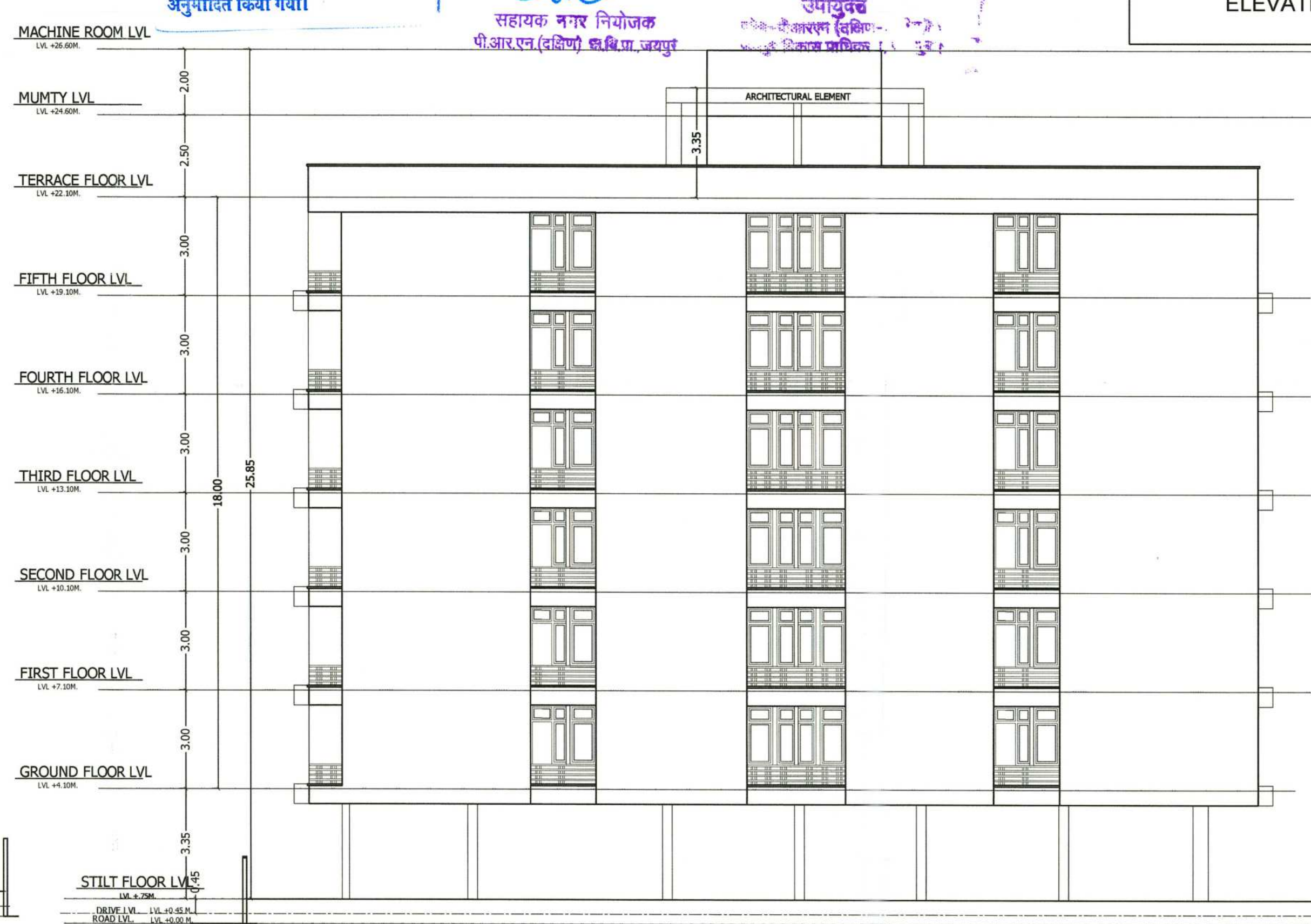
सहायक नगर नियोजक
पी.आर.एन (दक्षिण) का.वि.प्र. जयपुर
उपायुक्त
निकेतन कुमार (दक्षिण) 2-7-24
मुख्य विकास अधिकारी 1-1-2024

SHEET NO. - 03

TITLE :-
ELEVATIONS



WEST SIDE ELEVATION



NORTH SIDE ELEVATION



EAST SIDE ELEVATION



SOUTH SIDE ELEVATION

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS ELEVATIONS	PROJECT:- PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT FOR JAGDISH NARYAN CHOPRA A-12(N.P) & A-13 CHOPRA ENCLAVE, MANSAROVAR, VILL-GANPATPURA TEH-SANGANER, JAIPUR.	SCALE:- 1 = 100	NORTH : 	CLIENT NAME:- JAGDISH NARYAN CHOPRA जगदीश नारयण चौधरी	ARCHITECT: SURYAPRAKASH ARCHITECT SURYA PRAKASH CA/2006/37839
--	---	--------------------	-------------	---	---

जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक
3/8/23 को रखा जाकर भवन मानचित्र
जुनोदित किया गया।

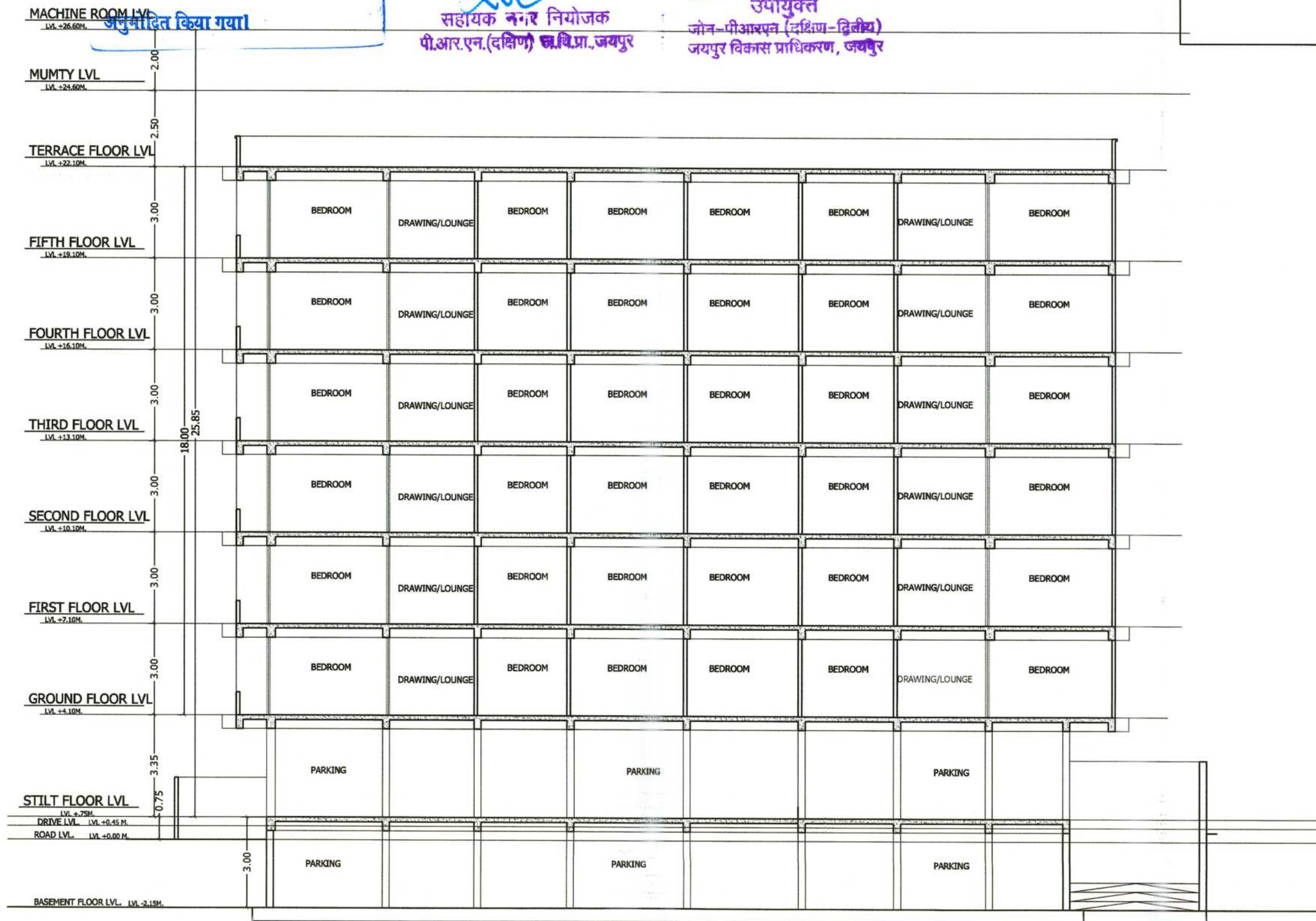
सहायक नगर नियोजक
पी.आर.एन. (दक्षिण) छा.प्रि. जयपुर

उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

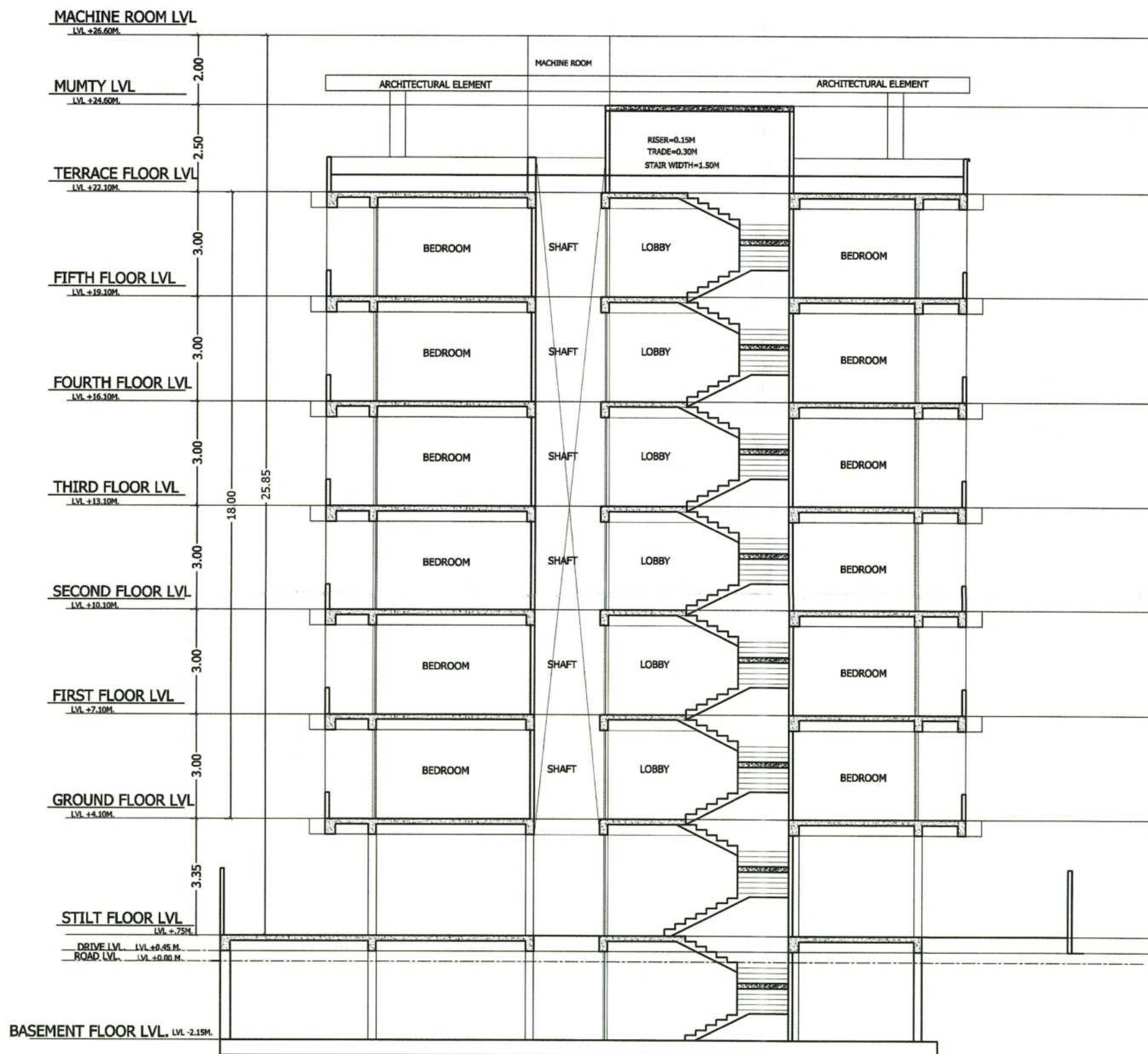
SHEET NO. - 04

TITLE :-

SECTIONS



SECTION @ A-A'



SECTION @ B-B'

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS SECTIONS	
SCALE:- 1= 100	DATE:
PROJECT:- PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT FOR JAGDISH NARYAN CHOPRA A-12(N.P) & A-13 CHOPRA ENCLAVE, MANSAROVAR, VILL-GANPATPURA TEH-SANGANER, JAIPUR.	
CLIENT NAME:- JAGDISH NARYAN CHOPRA जगदीश नरयान चोपरा	
ARCHITECT: SURYAPRAKASH ARCHITECT SURYA PRAKASH C/12006/37839	NORTH :

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL



31/20
6/7/2024

दिनांक 16/7/2024
S 647037

संशोधन-पत्र

श्री जगदीश प्रसाद चौपडा पुत्र श्री रामजीवन चौपडा, निवासी- चौपडा फार्म, गणपतपुरा, हीरापथ के सामने, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर, राज0 को कीर्ति नगर कॉ-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि0 की योजना चौपडा एन्क्लेव के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या ए-12-नोर्थ पार्ट एण्ड ए-13 क्षेत्रफल 986.20 वर्गगज का भवन मानचित्र अनुमोदन पत्र क्रमांक 1793 दिनांक 10.08.2023 को जारी किया गया था एवं उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण पत्र क्रमांक 2032 दिनांक 04.10.2023 को मैसर्स क्वालिटी किंग कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जरिये पार्टनर श्री भवानी सिंह चौधरी पुत्र श्री श्योजीराम चौधरी एवं श्री जगदीश नारायण चौपडा पुत्र श्री रामजीवन चौपडा के नाम जारी किया गया था।

उक्त भूखण्ड के जारी भवन मानचित्र अनुमोदन पत्र व अनुमोदित मानचित्र में सहवन से क्षेत्रफल 986.20 वर्गगज (824.58 वर्गमीटर) के स्थान पर क्षेत्रफल 986.20 वर्गगज (825.27 वर्गमीटर) अंकित हो गया है एवं नाम हस्तान्तरण पत्र में लीजडीड की दिनांक 02.08.2023 के स्थान पर 10.08.2023 अंकित हो गया है

अतः भूखण्ड के जारी भवन मानचित्र अनुमोदन पत्र व अनुमोदन मानचित्र में भूखण्ड का क्षेत्रफल 986.20 वर्गगज (825.27 वर्गमीटर) के स्थान पर क्षेत्रफल 986.20 वर्गगज (824.58 वर्गमीटर) एवं नाम हस्तान्तरण पत्र में लीजडीड की दिनांक 10.08.2023 के स्थान पर 02.08.2023 पढा व समझा जावें। उक्त संशोधन पत्र पूर्व में जारी भवन मानचित्र अनुमोदन पत्र क्रमांक 1793 दिनांक 10.08.2023 एवं नाम हस्तान्तरण पत्र क्रमांक 2032 दिनांक 04.10.2023 का अभिन्न अंग रहेगा।

उपायुक्त, जॉय फाउण्डेशन (दक्षिण-द्वितीय)
जॉय-पी. जॉय फाउण्डेशन-द्वितीय)
जयपुर, जयपुर



क्रम संख्या 00304 दिनांक 12/17/2024

मुद्रांक का पृष्ठ 201

क्रेता का नाम: M/s Quality King Construction Company

पिता/पति का नाम: Through Partners Bhawani Singh Choudhary

पता 23 Krishna Complex

Jagdish Narayan Chopra

मुद्रांक खरीदने का आशय: श्री 14/9/24 Krishna Sarovar Mansarovar Tapsu

मिबिलेश मुद्रा

स्टाम्प विक्रेता ला.नं. 31/2017

65, गंगोत्री नगर, गोपालपुरा, जबपुर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रसारित अधिभार	
आवृत्त अवसंयोजन विवरणों हेतु शरा 1-क) 10% रुपये	50
शरा 2-क) 10% रुपये शरा 3-क) 10% रुपये शरा 4-क) 10% रुपये शरा 5-क) 10% रुपये शरा 6-क) 10% रुपये शरा 7-क) 10% रुपये शरा 8-क) 10% रुपये शरा 9-क) 10% रुपये शरा 10-क) 10% रुपये शरा 11-क) 10% रुपये शरा 12-क) 10% रुपये शरा 13-क) 10% रुपये शरा 14-क) 10% रुपये शरा 15-क) 10% रुपये शरा 16-क) 10% रुपये शरा 17-क) 10% रुपये शरा 18-क) 10% रुपये शरा 19-क) 10% रुपये शरा 20-क) 10% रुपये शरा 21-क) 10% रुपये शरा 22-क) 10% रुपये शरा 23-क) 10% रुपये शरा 24-क) 10% रुपये शरा 25-क) 10% रुपये शरा 26-क) 10% रुपये शरा 27-क) 10% रुपये शरा 28-क) 10% रुपये शरा 29-क) 10% रुपये शरा 30-क) 10% रुपये शरा 31-क) 10% रुपये शरा 32-क) 10% रुपये शरा 33-क) 10% रुपये शरा 34-क) 10% रुपये शरा 35-क) 10% रुपये शरा 36-क) 10% रुपये शरा 37-क) 10% रुपये शरा 38-क) 10% रुपये शरा 39-क) 10% रुपये शरा 40-क) 10% रुपये शरा 41-क) 10% रुपये शरा 42-क) 10% रुपये शरा 43-क) 10% रुपये शरा 44-क) 10% रुपये शरा 45-क) 10% रुपये शरा 46-क) 10% रुपये शरा 47-क) 10% रुपये शरा 48-क) 10% रुपये शरा 49-क) 10% रुपये शरा 50-क) 10% रुपये शरा 51-क) 10% रुपये शरा 52-क) 10% रुपये शरा 53-क) 10% रुपये शरा 54-क) 10% रुपये शरा 55-क) 10% रुपये शरा 56-क) 10% रुपये शरा 57-क) 10% रुपये शरा 58-क) 10% रुपये शरा 59-क) 10% रुपये शरा 60-क) 10% रुपये शरा 61-क) 10% रुपये शरा 62-क) 10% रुपये शरा 63-क) 10% रुपये शरा 64-क) 10% रुपये शरा 65-क) 10% रुपये शरा 66-क) 10% रुपये शरा 67-क) 10% रुपये शरा 68-क) 10% रुपये शरा 69-क) 10% रुपये शरा 70-क) 10% रुपये शरा 71-क) 10% रुपये शरा 72-क) 10% रुपये शरा 73-क) 10% रुपये शरा 74-क) 10% रुपये शरा 75-क) 10% रुपये शरा 76-क) 10% रुपये शरा 77-क) 10% रुपये शरा 78-क) 10% रुपये शरा 79-क) 10% रुपये शरा 80-क) 10% रुपये शरा 81-क) 10% रुपये शरा 82-क) 10% रुपये शरा 83-क) 10% रुपये शरा 84-क) 10% रुपये शरा 85-क) 10% रुपये शरा 86-क) 10% रुपये शरा 87-क) 10% रुपये शरा 88-क) 10% रुपये शरा 89-क) 10% रुपये शरा 90-क) 10% रुपये शरा 91-क) 10% रुपये शरा 92-क) 10% रुपये शरा 93-क) 10% रुपये शरा 94-क) 10% रुपये शरा 95-क) 10% रुपये शरा 96-क) 10% रुपये शरा 97-क) 10% रुपये शरा 98-क) 10% रुपये शरा 99-क) 10% रुपये शरा 100-क) 10% रुपये	100
कुल योग	150
हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता	